न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान ज्योति देवी बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 119/2025
निर्णय दिनांक 13/11/2025

ज्योति देवी पुत्री जगमाल जाति गोसाई निवासी राघेड़ी तहसील तारानगर हाल किशनपुरा एलनाबाद हरियाणा

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा रांघेड़ी तहसील तारानगर के खाता संख्या 101 के खसरा सं. 11 तादादी 2.1497 हैक्ट, ख.नं. 23 तादादी 3.1233 हैक्ट., ख.नं. 29 तादादी 1.9220 हैक्ट., ख.नं. 71 तादादी 6.0570 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात रोही के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जैता पुत्री जगमाल अंकित है जो गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ज्योति देवी पुत्री जगमाल है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार कार्ड आदि में नाम ज्योति देवी पुत्री जगमाल है। राजस्व रिकार्ड में भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्राथी का नाम जैता पुत्री जगमाल के बजाय ज्योति देवी पुत्री जगमाल गौसाई किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवार हल्का ने प्रार्थी का निवास स्थान किशनपुरा एलनाबाद होने के कारण जांच रिपोर्ट संबंधित पटवार हल्का से लेने बावत रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार एलनाबाद को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी ने ज्योति देवी पत्नी किशोरी लाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी किशनपुरा एलनाबाद है ज्योति के पिता का नाम जगमाल है। प्रार्थी ने शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त खसराजात भूमि में उसका नाम जैता पुत्री जगमाल की बजाय ज्योति देवी पुत्री जगमाल करवाने की कृपा करावें। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित पटवारी की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार कार्ड में प्रार्थी का नाम ज्योति देवी पुत्री जगमाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जैता पुत्री जगमाल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा रांघेड़ी तहसील तारानगर के खाता संख्या 101 के खसरा सं. 11 तादादी 2.1497 हैक्ट, ख.नं. 23 तादादी 3.1233 हैक्ट., ख.नं. 29 तादादी 1.9220 हैक्ट., ख.नं. 71 तादादी 6.0570 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम जैता पुत्री जगमाल Delete कर इसके स्थान पर ज्योति देवी पुत्री जगमाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..13/11/25....... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)